R.M.M. Law - College
Saharsa.

Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time-Lecturer.

Sub Evidence

न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। जिसे न्यायालय अवेक्षा करेगा।

न्यायालय के समक्ष जितने सुसंगत विवाद्यक तथ्य होते हैं चोरी या डकैती की साक्ष्य से साबित किये जा सकते हैं। किन तथ्यों की बात से पक्षकारों की स्वीकृति हो जाती है और जिन तथ्यों की न्यायिक कर सकता है उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती यह अध्याय इन्हीं दो प्रकार के तथ्यों से सम्बन्धित है।

यह धारा केवल इतना कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा कर सकता है। अगली धारा उन तथ्यों का वर्णन करती है जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी है।

<u>न्यायिक अवेक्षा</u> - कुछ तथ्य ऐसे प्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित (well-established) होते हैं। उनके अस्तित्व को साबित करना जरूरी नहीं रह जाता। न्यायालय उनके अस्तित्व का स्वयं संज्ञान (congnizance) ले लेता है। इसे न्यायिक अवेक्षा कहते हैं।

Scanned with CamScanner

धारा 57 के अंतर्गत किसी तथ्य का अस्तित्व प्रश्नगत हो जाता है तो जो पक्षकार उसके अस्तित्व या अनस्तित्व को प्रख्यान करता है उसको उसके विषय में साक्ष्य देना आवश्यक नहीं। न्यायालय ऐसे समुचित सामग्री का सहारा लेना हुआ यदि उसका निजी ज्ञान उसका सहायक नहीं हो पाता। उक्त प्रश्न पर निर्णय लेगा और यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो वह पक्षकारों को सहायता करने के लिये कह सकता है किन्तु इस प्रकार की मांग के पर साक्ष्य नियमों से आबद्ध नहीं होगा। वह ऐसे स्रोतों का सहारा ले सकता है जिससे उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। वह किसी ऐसे ग्रन्थ का अवलोकन कर सकता है जो उसे सुसंगत से जानकारी दे सके। या इसे त्याग कर सकता है।

न्यायिक अपेक्षा न्यायालय की बाजी लेगी न्यायालय न्यायिक रूप से प्रश्न समस्त विधियाँ।

(3) यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेन्ट द्वारा पारित किये जाने वाले ऐक्ट जो पब्लिक ऐक्ट स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम के की पार्लियामेन्ट ने निर्दिष्ट किया है कि उनके न्यायिक अपेक्षा की जाएं।

भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना के लिये नियमावली।